भाग–III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 जून, 2026

संख्या का०आ० 27/पं०अ०18/1961/धा० 15/2026.– हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 18) की धारा 15 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) चतुर्थ संशोधन नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में, नियम 15ख में, ''बारह मास'' शब्द, जहां कहीं भी आएं के स्थान पर, ''दो वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

विजयेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 23rd June, 2026

No. S.O. 27/P.A.18/1961/S.15/2026.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 15 of the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (Punjab Act 18 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Village Common Lands (Regulation) Fourth Amendment Rules, 2026.

2. In the Haryana Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, in rule 15B, for the words "twelve months" wherever occurring, the words "two years" shall be substituted.

VIJAYENDRA KUMAR,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.

12703—L.R.—H.G.P., Pkl.